न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 29 / 2023

अपीलांट अमराराम पुत्र किरताराम
निवासी ग्राम जसोड़ो की बेरी ,पोस्ट परेउ, पं.सं गिड़ा

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 12.04.2023

अपीलार्थी अमराराम पुत्र किरताराम निवासी ग्राम जसोड़ो की बेरी ,पोस्ट परेउ, पं.सं गिड़ा ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.02.2023 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचना/जवाब कार्यालय के पत्र क्रमांक 1456 दिनांक 03.03.2023 द्वारा भिजवाया जा चुका है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं रेस्पोडेंट की ओर से जारी पत्राचार का अवलोकन किया। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना/जवाब भिजवाया जाकर नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर